न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 19/2021 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :— 2021/82

उनवान

1. त्रिवेणी आयु करीब 75 वर्ष पत्नी श्री हेम सिंह
2. राजेश आयु करीब 27 वर्ष पुत्र हेम सिंह
3. रामवती आयु करीब 45 वर्ष
4. मीरा आयु करीब 42 वर्ष
5. विमला आयु करीब 38 वर्ष
6. शारदा आयु करीब 35 वर्ष

(क्र0 3 से 6) पुत्रीगण हेम सिंह

(क्र0 1 से 6) समस्त जातिगण गूजर निवासी ग्राम मौरोली तहसील व जिला धौलपुर।

..................अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.... रैस्पोंडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.07.2015 प्रकरण संख्या 14/15 उनवान त्रिवेणी बनाम सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर।

अभिभाषकगण :—

1. श्री योगेश कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र सिंह अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :—21.12.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 29.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2314/65 रकवा 762 बीघा 14 विस्वा ग्राम पायले का पुरा गत खसरा नम्बर 01 वाके ग्राम मौरोली तहसील व जिला धौलपुर में से निर्मित है में से 04 बीघा 19 विस्वा विवादित है। विवादित आराजी वादीगण/अपीलाण्ट के पति व पिता हेम सिंह पुत्र सोवरन सिंह जाति गूर्जर निवासी मौरोली तहसील व जिला धौलपुर के पक्ष में गत खसरा नम्बर 1/1 में से अन्य ग्राम वासियो के साथ दिनांक 16.07.1966 को विधिवत रूप से आवंटित किया गया था तथा वक्त आवंटन आवंटित भूमि खसरा नम्बर की किस्म सिवायचक ऊपर दर्ज थी तथा आवंटन बंदोबस्त से पूर्व किया गया था एवं भू प्रबन्ध अधिकारी को तहसीलदार धौलपुर द्वारा सूचित किया गया था हेम सिंह आजीवन आंवटन की समस्त शर्तो का पालन करते रहे हैं। परन्तु हेम सिंह की बैक पर बंदोवस्त कर्मचारियों ने बंदोवस्त के दौरान बिना किसी सक्षम आदेश के गत खसरा नम्बर 1/1 का नया नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

2314/65 बनाते हुये अवैध रूप से किस्म चारागाह अंकित कर दी। हेम सिंह का निधन हो चुका है। वादीगण हेम सिंह के सबसे नजदीक वारिस हैं एवं विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2015 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पांडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत व कयासो के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी वादीगण अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष हेम सिंह को दिनांक 16.07.1966 को आंवटित हुयी थी एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने अपीलाधीन आदेश में विवादित आराजी का आवंटन वादीगण/अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष को होना माना है। परन्तु विवादित आराजी के चारागाह अंकित होने के कारण, आवंटन योग्य नहीं माना जाकर दावा वादीगण अपीलाण्ट खारिज करने में कानूनी भूल की है। जबकि वादीगण अपीलाण्ट अपने दावे में स्पष्ट कहकर आया है कि विवादित आराजी पूर्व में चारागाह नहीं थी। दौराने बंदोबस्त, भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने विवादित आराजी को चारागाह दर्ज किया है। जबकि बंदोबस्त विभाग को किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई अधिकार हासिल नहीं है। उक्त तथ्य पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब दावे में स्वीकार किया है। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजी अन्य ग्रामवासियों के साथ वादीगण अपीलाण्ट के पिता को आवंटित हुयी थी। उक्त खसरा नम्बर में अन्य ग्रामवासियो को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है, जिनके अंकन राजस्व अभिलेख में हो रहे हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यो को नजर अंदाज करते हुये, वादीगण अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में भूल की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2012(1) पेज 1358, 2008(1) पेज 151, 2017(1) पेज 664, 2009(2) पेज 1026, 2020(2) पेज 808 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो० ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। वादीगण/अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावे को सिद्ध करने में सफल नहीं हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित तीन तनकियॉ निर्धारित की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :-

6. <u>तनकी संख्या 01</u> :- अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी में अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष हेम सिंह को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1/1 में रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा किस्म गैर

मु० प्र० अ०
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

गुमकिन ऊसर वाके ग्राम गौरोली का आवंटन होना तो माना है। परन्तु विवादित आराजी पर दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा एवं खसरा परिवर्तन द्वारा कब्जा सिद्ध नहीं करने के कारण तनकी विरूद्ध वादीगण/अपीलाण्ट तय की है। वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत खसरा परिवर्तन संवत 2034, 2074, 2075 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट व उनके पिता हेम सिंह काबिज काश्त है। चूंकि विवादित आराजी का विधिवत आवंटन वादीगण/अपीलाण्ट के पिता हेम सिंह को हुआ है एवं खसरा परिवर्तन से विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त प्रमाणित है। अतः वादीगण/अपीलाण्ट स्वयं को विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी होते हैं। अतः तनकी वहक वादीगण/अपीलाण्ट पायी जाती है।

7. <u>तनकी संख्या 02</u>– अधीनस्थ न्यायालयय ने उक्त तनकी भी विरूद्ध वादीगण/अपीलाण्ट, राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में विवादित आराजी का चारागाह दर्ज होने के कारण तय की है। हम पाते हैं कि वक्त आवंटन विवादित आराजी की किस्म गैर गुमकिन ऊसर दर्ज रही हैं। परन्तु दौराने बंदोबस्त, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा विवादित आराजी की किस्म गैर गुमकिन ऊषर से चारागाह में परिवर्तित की गयी है। हमारी दृष्टि में भू प्रबन्ध के अंकन प्रारम्भ से ही क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अवैध थे। इसके अतिरिक्त जमाबन्दी संवत 2023 से 26 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसी विवादित आराजी खसरा नम्बर के अन्य आवंटियों को गैर खातेदारी प्रदान की गयी है। उक्त तथ्य से वादीगण/अपीलाण्ट का पक्ष और अधिक पुष्ट हो जाता है। अतः तनकी वहक वादीगण/अपीलाण्ट पायी जाती है।

8. <u>अनुतोष</u> :– समस्त तनकियात का निस्तारण हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आवंटन आदेश से विवादित भूमि का वादीगण/अपीलाण्ट के पिता हेम सिंह को आवंटन होना एवं खसरा परिवर्तन संवत 2075 वर्ष 2018–19 तक निरन्तर विवादित आराजी पर वादीगण/अपीलाण्ट का कब्जा काश्त बखूबी सिद्ध होता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2015 अपास्त किये जाकर वादीगण/अपीलाण्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 2314/65 में से 04 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-12-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर